न्यायालय जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र मुत.(मुन्तकली) संख्या– 93/21 सन् 2021

आरसीएमएस संख्या 2021/259

बउनवानी :– 1. पप्पू उर्फ रामस्वरूप पुत्र मोतीलाल मीना निवासी सपेरा बस्ती गंगापुर सिटी

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार गंगापुर सिटी

(मुन्तकली प्रार्थना पत्र विरूद्ध तहसीलदार गंगापुर सिटी मे जैरकार प्रकरण सख्या 02/2021 उनवानी सरकार बनाम पप्पू उर्फ रामस्वरूप धारा 91 एलआरएक्ट, अन्तर्गत धारा 235 आ.टी.एक्ट)

उपस्थितः 1. श्री रविशंकर सैनी — वकील प्रार्थी

2. श्री तोफिक मोहम्मद — पैरोकार राजस्व

–: निर्णय :– दिनांक 16.11.2021

वकील प्रार्थी ने न्यायालय तहसीलदार गंगापुर में विचाराधीन प्रकरण सख्या 02/2021 उनवानी सरकार बनाम पप्पू उर्फ रामस्वरूप अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने बाबत इस्तदुआ की है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत से प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों के सम्बन्ध में टिप्पणी तलबी की गयी साथ ही सम्बन्धित विपक्षीगणों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात् बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना में उल्लेखित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी के विरूद्व दुर्भावना पूर्वक प्रार्थी के विरोधी सुरज्ञानी मीना से साजकर पक्षपाती रूप से धारा 91 का प्रकरण दर्ज किया गया है जिसमे पीठासीन अधिकारी सुरज्ञानी मीना से मिलकर प्रार्थी के विरूद्व अवैधानिक आदेश व निर्णय पारित करने पर अमादा है क्योकि प्रार्थी का विरोधी सुरज्ञानी मीना सरे आम कह रहा है कि मैने पप्पू को जमीन से बेदखल करने की तहसीलदार जी से बात कर ली है इसको इस जमीन से बेदखल करा कर सजा कराऊंगा। प्रार्थी एवं सुरज्ञानी के बीच जमीन के विवाद को लेकर मुकदमेबाजी एवं विवाद चल रहा है। यह तर्क भी दिया कि प्रार्थी अपने खातेदारी की भूमि साबिक ख0न0 802 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा हाल ख0न0 5667, 5668, 5671, 5672 कुल किता 4 कुल रकबा 2.32 है0 पर अपने बुजुर्गान के समय से ही काबिज है प्रार्थी ने सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षपात कर प्रार्थी के विरूद्व निर्णय करने पर अमादा है तथा प्रार्थी को उक्त प्रकरण मे पीठासीन अधिकारी महोदय से न्याय मिलने की बिल्कुल उम्मीद शेष नही है। अतः प्रार्थी का मुन्तकिली प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर तहसीलदार गंगापुर सिटी के न्यायालय में जैरकार उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय मे मुन्तकिल किये जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

G4.
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

(मुन्तकिली प्रार्थना पत्र संख्या 93/2021 पप्पू उर्फ रामस्वरूप बनाम सरकार)

विद्वान पैरोकार राजस्व द्वारा दौराने बहस तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त टिप्पणी की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थी द्वारा बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। यह तर्क भी दिया कि पटवारी हल्का उदेई कलां की अनुपस्थिति में भू.अभिलेख निरीक्षक उदई कलां के द्वारा उदेई कलां ग्राम के ख0न0 6643/6381 रकबा 0.42 है0 चारागाह भूमि पर अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश की जाने पर प्रार्थी के विरूद्व एलआर एक्ट की धारा 91 के तहत दिनांक 16.6.2021 को प्रकरण दर्ज किया जाकर दिनांक 21.6.21 नियत की जाकर प्रार्थी को सुनवायी हेतु नोटिस जारी किया गया है नियत दिनांक को प्रार्थी न्यायालय मे उपस्थित हुआ एवं जवाब हेतु समय चाहे जाने पर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 29.6.2021 नियत की गयी है। चूंकि प्रार्थी द्वारा ख0न0 6643/6381 रकबा 0.04 है0 किस्म गै0मु0 चरागाह पर अतिक्रमण किये जाने पर प्रार्थी के विरूद्व एल.आर.एक्ट की धारा 91 के तहत कार्यवाही नियमानुसार कार्यवाही की गयी है। जिसमे प्रार्थी को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर भी दिया जा रहा है। इसलिए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया है ।

वकील प्रार्थी एंव पैरोकार राजस्व की ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय तहसीलदार गंगापुर सिटी के पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरापो की पुष्टि वकील प्रार्थी द्वारा किये गये कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर नही होती है। इसके विपरीत पैरोकार राजस्व द्वारा किया गया कथन कि प्रार्थी द्वारा उक्त मुन्तकिली प्रार्थना पत्र झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किया है कि पुष्टि प्रस्तुत आदेशिका दिनांक 16.6.2021 एवं 21.6.2021 से हो जाती है जिसके अनुसार भू.अभिलेख निरीक्षक उदई कलां के द्वारा उदेई कलां ग्राम के ख0न0 6643/6381 किस्म गै0मु0 चारागाह भूमि पर अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश की जाने पर प्रार्थी के विरूद्व एलआर एक्ट की धारा 91 के तहत दिनांक 16.6.2021 को प्रकरण दर्ज किया जाकर दिनांक 21.6.2021 नियत की जाकर प्रार्थी को सुनवायी हेतु नोटिस जारी किया गया है नियत दिनांक को प्रार्थी न्यायालय मे उपस्थित हुआ एवं जवाब हेतु समय चाहे जाने पर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 29.6.2021 नियत की गयी है। जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा उक्त मुन्तकिली प्रार्थना पत्र महज प्रकरण के निस्तारण में दैरीना करने की दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय कि किसी भी पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण का निस्तारण प्रभावित पक्षकारान की सुनवाई कर साक्ष्य,सबूतो एवं दस्तावेजात के आधार पर किया जाता है। चूंकि प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रकरण की सुनवायी विधिवत तरीके से की जा रही है इसलिए उक्त प्रकरणों को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की आवश्यकता नही है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र सारहीन प्रतीत होता है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना खारिज किया जाता है। एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को सुनवायी का अवसर दिया जाकर 30 दिवस में प्रकरण का निस्तारण करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2021 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर